रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D(D)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 386] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1980/अग्रहायण 14, 1902
No. 386] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1980/Agrahayana 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1980

सा. का. नि. 688(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमती तारा रामचन्द्र साठे, सदस्य, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, को उक्त आयोग के सचिव के रूप में तत्काल नियुक्त करती है ।

[सं. 6(3)/80-क. वी. आई. (1)]

बेनी कृष्ण शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1980

G.S.R. 683(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby appoints Smt. Tara Ramchandra Sathe, Member of the Khadi and Village Industries Commission, to be the Secretary of the said Commission with immediate effect.

[No. 6(3)/80-KVI(1)]

B. K. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980